TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by section 4-B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendments in this department's notification number F.6(262)Pari/Tax/Hqrs/07/9F-167 dated 09.03.2007, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) in column number 2 against item (b) of serial number 1 of the table, for the existing expression "Rs. 4000/- + Rs. 50/- for every Rs. one lakh or part thereof of the cost of horse exceeding Rs. 10,00,000.", the expression "Rs. 4000/- + 0.15% of the cost of the horse exceeding Rupees ten lakhs" shall be substituted;
- (ii) in column number 2 against item (d) of serial number 2 of the table, for the existing expression "Rs. 5050/- + Rs. 50/- for every Rs. one lakh or part thereof of the cost exceeding Rs. 10 lakh.", the expression "Rs. 5050/- + 0.15% of the cost of the vehicle exceeding Rupees ten lakhs" shall be substituted; and
- (iii) the existing proviso appearing below the table shall be deleted.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/9G] By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

परिवहन विभाग अधिसूचना जयपुर, मार्च ०८, २०१६

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(262)परि/टैक्स/एचक्यू/07/9एफ -167 दिनांक 09.03.2007 में इसके द्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के क्रम संख्यांक 1 की मद (ख) के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''4,000/- + 10,00,000 रु. से अधिक की हार्स के प्रत्येक एक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50/- रु.'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''4,000/- रु. + दस लाख रु. से अधिक की हार्स की लागत का 0.15 प्रतिशत'' प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) सारणी के क्रम संख्यांक 2 की मद (घ) के सामने स्तंभ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''5,050/- + 10,00,000 रु. से अधिक की लागत के प्रत्येक लाख रु. या उसके भाग के लिए 50/- रु.'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''5,050/- रु. + दस लाख रु. से अधिक के यान की लागत का 0.15 प्रतिशत'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (iii) सारणी के नीचे आया विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा।

[सं.प.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/9जी] राज्यपाल के आदेश से,

> डॉ. मनीषा अरोड़ा, संयुक्त शासन सचिव